

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2014/अग्रहायण 3, 1936

No. 3411

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2014/AGRAHAYANA 3, 1936

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 19 नवंबर, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/7/90/2014.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 के साथ पठित धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा)(पहला संशोधन) विनियम, 2014 कहलाएँगे।
- ये विनियम भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- स्वास्थ्य पॉलिसियों से संबंधित सामान्य उपबंध : बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 में,

विनियम 5(g) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

फ्री लुक अवधि

"एक वर्ष से कम अवधि वाली पॉलिसियों को छोड़कर सभी नई वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की एक फ्री लुक अवधि होगी। यह फ्री लुक अवधि पॉलिसी के प्रारंभ से लागू होगी तथा:

- बीमाकृत व्यक्ति के लिए पॉलिसी की शर्तों का पुनरीक्षण करने और यदि वे स्वीकार्य न हों तो पॉलिसी को लौटाने के लिए पॉलिसी प्राप्त करने की तारीख से कम से कम 15 दिन की अवधि की अनुमित दी जाएगी।
- यदि बीमाकृत व्यक्ति ने उपर्युक्त फ्री लुक अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया है, तो बीमाकृत व्यक्ति निम्नलिखित के लिए हकदार होगा—
 - (a) बीमाकृत व्यक्तियों की डॉक्टरी जाँच के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा किये गये किसी भी व्यय और मुद्रांक शुल्क प्रभार को घटाकर प्रदत्त प्रीमियम की वापसी अथवा;
 - (b) जहाँ जोखिम प्रारंभ हो चुका है और पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी को वापस करने के विकल्प का प्रयोग किया गया है, वहाँ रक्षा संबंधी अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम हेतु कटौती अथवा;
 - (c) जहाँ केवल जोखिम का एक भाग प्रारंभ हुआ है, वहाँ ऐसा आनुपातिक जोखिम प्रीमियम जो ऐसी अवधि के दौरान रक्षा प्राप्त जोखिम के अनुरूप हो।
 - (d) यूनिट-सहबद्ध पॉलिसी के संबंध में उपर्युक्त कटौतियों के अतिरिक्त, बींमाकर्ता पॉलिसी की वापसी की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार यूनिटों के मूल्य पर यूनिट की फिर से खरीद करने के लिए भी हकदार होगा।

विनियम 5(i)(iii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है

संचयी बोनस

"वैयक्तिक दुर्घटना रक्षा के अपवाद को छोड़कर लाभ आधारित पॉलिसियों पर संचयी

बोनस की अनुमंति नहीं दी जाए"

विनियम 5(I)(i) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है

आयुष सुरक्षा :

"बीमाकर्ता गैर-एलोपैथी चिकित्साओं के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि चिकित्सा किसी सरकारी अस्पताल में अथवा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और/या भारतीय गुणवत्ता परिषद/स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी संस्थान में प्राप्त की गई हो।"

3. विविध उपबंध:

एक नया विनियम 19 निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है

"विनियम 19: स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए अध्यक्ष का अधिकारः इन विनियमों को लागू करने अथवा इनका अर्थ लगाने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 19th November, 2014

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (HEALTH INSURANCE) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2014

F. No. IRDA/Reg/7/90/2014.—In exercise of the powers conferred under Section 114A of the Insurance Act 1938 and Section 14 read with section 26 of the IRDA Act 1999 and in consultation with the Insurance Advisory Committee, the Authority hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- a. These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014
- b. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of India.
- General Provisions relating to Health Policies: In the Insurance Regulatory and Development Authority (Health Insurance) Regulations, 2013,

Reg 5 (g) is substituted by the following:

Free Look Period

"All new individual health insurance policies except those with tenure of less than a year shall have a free look period. The free look period shall be applicable at the inception of the policy and:

- The insured will be allowed a period of at least 15 days from the date of receipt of the
 policy to review the terms and conditions of the policy and to return the same if not
 acceptable
- If the insured has not made any claim during the free look period, the insured shall be entitled to-
 - a. A refund of the premium paid less any expenses incurred by the insurer on medical examination of the insured persons and the stamp duty charges or;
 - where the risk has already commenced and the option of return of the policy is exercised by the policyholder, a deduction towards the proportionate risk premium for period on cover or;
 - c. Where only a part of the risk has commenced, such proportionate risk premium commensurate with the risk covered during such period.
 - d. In respect of unit linked policy, in addition to the above deductions, the insurer shall also be entitled to repurchase the unit at the price of the units as on the date of the return of the policy.

Reg 5 (i)(iii) is substituted by the following

Cumulative bonus

"Cumulative bonus may not be allowed on benefit based policies with the exception of Personal Accident cover"

Reg 5 (l)(i) is substituted by the following

AYUSH Coverage:

"Insurers may provide coverage to non-allopathic treatments provided the treatment has been undergone in a government hospital or in any institute recognized by government and/or accredited by Quality Council of India/National Accreditation Board on Health".

3. Miscellaneous Provisions:

A new regulation 19 is inserted as under

"Reg. 19: Power of Chairperson to issue clarification etc.: In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars."

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/14/Exty.]